न्यायालय :—माननीय राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

प्र.क. /2017 निगरानी R 841-II/17

1. चरनसिंह पुत्र जौधासिंह
2. कश्मीरसिंह पुत्र हरीचन्द्र जाति ओढ़ निवासी ग्राम पंजाबी का पुरा हीरापुर तहसील व जिला श्योपुर म.प्र.

——— आवेदकगण

विरूद्ध

विष्णु राठौर पुत्र बाबूलाल तेली निवासी ग्राम मानपुर तह. व जिला श्योपुर म.प्र.

——— अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 न्यायालय नायव तहसीलदार जिला श्योपुर के प्र.क. 10/2016—17/अ—70 में पारित आदेश दिनांक 04.03.2017 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः—

1. यह कि, निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायव तहसीलदार श्योपुर के समक्ष एक आवेदन पत्र आवेदकगण के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि, ग्राम गुढ़ा पटवारी हल्का नं. की स्थित कृषि भूमि सर्वे कं. 50/2 मिन 1 एवं 51/2(ख) रकवा 2.90 हें., भूमि पर आवेदकगण द्वारा अवैध कब्जा होना बताया है एवं अनावेदक का आवेदन पत्र धारा 250 म.प्र. भू.रा. संहिता के अर्न्तगत दर्ज कर उसकी भूमि का कब्जा लिया जाये। ।

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के प्र.क़. 10/2016—17/अ—70 पर प्रकरण दर्ज कर आवेदकगण को सूचना पत्र दिनांक 25.01.2017 भेजा गया आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जबाब दिनाक 02.03.2017 पेंश कर व्यक्त किया है कि, अनावेदक द्वारा उक्त भूमि की वास्तविक स्थित को छुपाकर एवं अनावेदक द्वारा उक्त भूमि के संबंध में किये गये विकय संव्यवहार को छिपाकर तथा नायव तहसीलदार न्यायालय श्योपुर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। एवं आवेदकगण द्वारा अपने आवेदन में यह भी व्यक्त किया कि ,उक्त

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 841–दो/2017 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड़ उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा नायव तहसीलदार जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 10/अ–70/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 04/03/17 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला श्योपुर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 15/4/19 **कलेक्टर जिला श्योपुर**	